

प्रपत्र-21

परियोजना का नाम—तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेड़ शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य (किमी 17 से किमी 38 तक) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी द्वारा तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर के हल्द्वानी, भाखड़ा, टाणडा एवं रुद्रपुर में उक्त निर्माण कार्य से हम नगर निगम वासियों/ग्राम वासियों को काई आपत्ति नहीं है। उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेड़ शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य (किमी 17 से किमी 38 तक) का निर्माण किया जायेगा।



J. Jogender Bai Singh Raute
MAYOR
Municipal Corporation
Haldwani-Kathgodam

राजेन्द्र सिंह नेगी (राजू नेगी)
पार्वद वार्ड नं0 56 मानपुर
नगर निगम हल्द्वानी— काठगोदाम

पार्वद कुमार
पार्वद
Executive Engineer
CD PWD Haldwani

23/06/2022
विं खंड हल्द्वानी (नैनीताल)
भवानी देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत—बैडापोखरा
विं खंड हल्द्वानी (नैनीताल)

१८६५/१८६६

श्रीराम सिंह पश्चाई

ग्राम प्रधान

हरिपुर चांगल सिंह

विं खंड हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रकाश देवी

ग्राम प्रधान

श्रीमती विनीता
प्रधान

ग्राम पंचायत—देवलचौड़ लन्दोबस्ती
क्षेत्र समिति हल्द्वानी (नैनीताल) यू०क०

सहापौर (रामपाल सिंह)
सहापौर
नगर उत्तम रुद्रपुर
ग्राम सिंह नगर

ग्राम प्रधान

निशा
श्रीमती निशा कुल्याल
प्रधान
ग्राम पंचायत चांदनीचौक घुड़दौड़ा
विं खंड हल्द्वानी (नैनीताल)

हरक सिंह बिष्ट
प्रधान
करायल चतुर सिंह
विं खंड हल्द्वानी (नैनीता)

श्रीमती दीपा दरम्वाल
(प्रधान)
ग्राम पंचायत—देवलचौड़ खाम
क्षेत्र समिति हल्द्वानी (नैनीताल) यू०क०

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम—तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेड़ शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य (किमी 17 से किमी 38 तक) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम—जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र हल्द्वानी व हरिपुर जमनसिंह/देवलचौड़ बन्दोबस्ती/चॉदनी चौक घुड़दौड़ा/आनन्दपुर/प्रेमपुर लोशग्यानी/देवलचौड़ खाम/हल्दूपोखरा/हिम्मतपुर बैजनाथ/हरीपुर फुटकुंआ/मानपुर पश्चिम तथा जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत कल्याणपुर।
तहसील— हल्द्वानी एवं रुद्रपुर, जिला—नैनीताल एवं उधमसिंहनगर।

आम सभा बैठक प्रमाण—पत्र।

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल एवं उधमसिंहनगर के अन्तर्गत तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधियोजना के अन्तर्गत गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेड़ शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य (किमी 17 से किमी 38 तक) हेतु (16.27 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.42 है0 संरक्षित वन भूमि, 10.25 है0 नाप भूमि, शून्य है0 सिविल एवं सौयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 16.69 है0 वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने एवं 10.25 है0 नाप भूमि में बाधक वृक्षों के पातन/साख तरासी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

Dr. Jyotiender Pal Singh Gautam
M.A. उत्तराखण्ड प्रभाग के विषय में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र हल्द्वानी व ग्राम पंचायत जमनसिंह/देवलचौड़ बन्दोबस्ती/चॉदनी चौक घुड़दौड़ा/आनन्दपुर/प्रेमपुर लोशग्यानी/देवलचौड़ खाम/हल्दूपोखरा/हिम्मतपुर बैजनाथ/हरीपुर फुटकुंआ/मानपुर पश्चिम तथा जनपद उधमसिंहनगर के अधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत विवरण दिया गया।

अधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत विवरण दिया गया। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासीयों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर निगम व उपरोक्त समस्त ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेड़ शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य (किमी 17 से किमी 38 तक) हेतु दिये जाने पर कोई अपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो कि सच्च एवं सही है।

महापौर
नगर निगम रुद्रपुर
क्षेत्र सिंह नगर

श्रीमती निशा कुल्याल
प्रधान
ग्राम पंचायत चॉदनीचौक घुड़दौड़ा
विधायक विधायक विधायक



वीरेन्द्र सिंह परमाई
ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान
रिपुर जमन सिंह
भवानी देवी
ग्राम पंचायत—बैडापोखरा
विधायक विधायक विधायक

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम—तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेब्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य (किमी 17 से किमी 38 तक) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 23/06/2022 को ग्राम सभाओं की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत :— जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र हल्द्वानी व हरिपुर जमनसिंह/देवलचौड़ बन्दोबस्ती/चांदनी चौक घुड़दौड़ा/आनन्दपुर/प्रेमपुर लोशगयानी/देवलचौड़ खाम/हल्दूपोखरा/हिम्मतपुर बैजनाथ/हरीपुर फुटकुआ/मानपुर पश्चिम तथा जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत कल्याणपुर (नगर निगम)।

क्रमांक	ग्राम सभा एवं नगर निगम में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	श्री मार्टिन	मार्टिन
	श्री वहमत जावी	वहमत जावी
	श्री मुल्लाधीपुर	मुल्लाधीपुर
	कलाशनी	कलाशनी
	लोलत मोहन गुर्जर	लोलत मोहन गुर्जर
	महेश गुर्जर	महेश गुर्जर
	भगवान्न	भगवान्न
	लोलत गुर्जर	लोलत गुर्जर
	विविकुमार	विविकुमार
	जिमला	जिमला
	दीपा	दीपा

नगर निगम हल्द्वानी—
कल्याणपुर
पंचायत
सभा
भूमि
लूट भूमि
मानपुर
बैजनाथ

हरकरिंग सिंह
प्रधान
कल्याणपुर चतुर सिंह
विहार हल्द्वानी (नैनीताल)
23/06/2022



पार्षद
Dr. Jagender Singh Rautela
MAYOR
Municipal Corporation
Haldwani-Kathgodam

Executive Engineer
CD PWD Haldwani

श्रीमती विनीता
प्रधान
ग्राम पंचायत—देवलचौड़ बन्दोबस्ती
क्षेत्र समिति हल्द्वानी (नैनीताल) यू०क०

श्रीमती निशा कुल्याल
प्रधान
ग्राम पंचायत चांदनीचौक घुड़दौड़ा
विहार हल्द्वानी (नैनीताल)

(रामपाल सिंह)
महापौर
सहापौर
नगर निगम रुद्रपुर
उधम सिंह नगर

ग्राम प्रधान
वीरेन्द्र सिंह परमार्थ
ग्राम प्रधान
हरिपुर जमन रिंग
विहार हल्द्वानी (नैनीताल)

श्रीमती दापा दरम्वाल
(प्रधान)
ग्राम पंचायत—देवलचौड़ खाम

Saurabh Bisht (Karanulchatur Singh)

Favourable

Jagat Bisht (,, " ")

Jagat

Vidam Negi (Deekshu)

V
Saurav

Mangal Negi

,, "

Gang

Kannu Sehgal

" "

Sehgal

VISHAL NEGI

— "

Vishal

Manish Negi

— "

Manish

Aby
Executive Engineer
CD PWD Haldwani

प्रपत्र— 23.2

परियोजना का नाम—तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0—05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेंड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु (किमी 17 से किमी 38 तक) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


कार्यालय उपजिलाधिकारी रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति।

उपखण्ड रुद्रपुर परिक्षेत्र में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0—05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेंड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य (किमी 17 से किमी 38 तक) हेतु (16.27 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.42 है0 संरक्षित वन भूमि, 10.25 है0 नाप भूमि, शून्य है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 16.69 है0 वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने एवं 10.25 है0 नाप भूमि में बाधक वृक्षों के पातन/साख तरासी हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील—रुद्रपुर) की दिनांक 23/06/2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

प्रस्तावित परियोजना में जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत 7.39 है0 वन भूमि एवं 0.59 है0 नाप भूमि पड़ रही है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्रत्यूष सिंह, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है—

- 1— श्री प्रत्यूष सिंह, उप जिलाधिकारी रुद्रपुर, अध्यक्ष। 
- 2— श्रीप्रदीप कुमार अस्मिन्ना, उप प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी/किंच्छा, सदस्य। 
- 3— श्री करम सिंह राना, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंहनगर, सदस्य। 
- 4— श्री राजेश कुमार, पार्षद, नगर निगम रुद्रपुर, सदस्य। 

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0—05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेंड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य (किमी 17 से किमी 38 तक) हेतु (16.27 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.42 है0 संरक्षित वन भूमि, 10.25 है0 नाप भूमि, शून्य है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 16.69 है0 वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु एवं 10.25 है0 नाप भूमि में बाधक वृक्षों के पातन/साख तरासी हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभाओं एवं नगर निगम के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिखित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभाओं एवं नगर निगम द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी/किंच्छा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में नगर निगम/ग्राम सभा/पचांयत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, रुद्रपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत उक्त गदरपुर-दिनेशपुर-मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेड़ शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य (किमी 17 से किमी 38 तक) हेतु **16.69** है० वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने एवं **10.25** है० नाप भूमि में बाधक वृक्षों के पातन/साख तरासी हेतु भूमि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील— रुद्रपुर
उपजिलाधिकारी

रुद्रपुर, ऊर्ध्म सिंह नगर

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी जनपद उधमसिंह नगर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील— रुद्रपुर
उपजिलाधिकारी

रुद्रपुर, ऊर्ध्म सिंह नगर



उप प्रभागीय बनाधिकारी (किञ्चि)
तराइ केंद्रीय वन प्रभाग
रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

सामाजिक कल्याण अधिकारी
रुद्रपुर ऊर्ध्म सिंह नगर

तहसीलदार,
हल्द्वानी (नैनीताल)

उपजिलाधिकारी

रुद्रपुर, ऊर्ध्म सिंह नगर

जिलाधिकारी
उधम सिंह नगर

प्रपत्र- 23.2

परियोजना का नाम—तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेढ़ शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु (किमी 17 से किमी 38 तक) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उपजिलाधिकारी हल्द्वानी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।
उपखण्ड स्तरीय समिति।

उपखण्ड हल्द्वानी परिक्षेत्र में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेढ़ शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य (किमी 17 से किमी 38 तक) हेतु (16.27 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.42 है0 संरक्षित वन भूमि, 10.25 है0 नाप भूमि, शून्य है0 सिविल एंव सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 16.69 है0 वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने एवं 10.25 है0 नाप भूमि में बाधक वृक्षों के पातन/साख तरासी हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील—हल्द्वानी) की दिनांक 23/06/2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

प्रस्तावित परियोजना में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत 9.30 है0 वन भूमि एवं 9.66 है0 नाप भूमि पड़ रही है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मनीष कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी एंव अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है—

- 1— श्री मनीष कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी हल्द्वानी, अध्यक्ष।
- 2— श्री प्रदीप कुमार असगोला, उप प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी/किंच्चा, सदस्य।
- 3— श्री राहुल आर्या, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, हल्द्वानी, सदस्य।
- 4— श्रीमती निर्मला जोशी, बी0डी0ओ0 क्षेत्र हल्द्वानी, सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी हल्द्वानी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेढ़ शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य (किमी 17 से किमी 38 तक) हेतु (16.27 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.42 है0 संरक्षित वन भूमि, 10.25 है0 नाप भूमि, शून्य है0 सिविल एंव सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 16.69 है0 वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु एवं 10.25 है0 नाप भूमि में बाधक वृक्षों के पातन/साख तरासी हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभाओं एवं नगर निगम के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभाओं एवं नगर निगम द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी/किंचा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में नगर निगम/ग्राम सभा/पर्यावरण द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, हल्द्वानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत उक्त गदरपुर-दिनेशपुर-मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेंड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य (किमी 17 से किमी 38 तक) हेतु **16.69** है। वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने एवं **10.25** है। नाप भूमि में बाधक वृक्षों के पातन/साख तरासी हेतु भूमि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- हल्द्वानी
नैनीताल।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी जनपद नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- हल्द्वानी
नैनीताल।

सूचनार्थ कार्यवाही अधिकारी
हल्द्वानी (नैनीताल)

उप विकास अधिकारी
हल्द्वानी (नैनीताल)

उप प्रभागीय वनाधिकारी (हल्द्वानी)
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
सदरपुर (ऊथमसिंह नगर)

तहसील नैनीताल
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र— 23.3

परियोजना का नाम—तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेढ़ शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुरुद्धीकरण के कार्य हेतु (किमी 17 से किमी 38 तक) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Office of the deputy commissioner
District —Nainital (U.K)

Proceeding of the meeting of district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers recognition of right act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district constituted under FRA, 2006 was held under Chairmanship of Mr. Dhiraj Singh Garbiyal, IAS Deputy Commissioner Nainital on dated 04/07/2022 at time 5:30 PM at Nainital in which application claiming right in **26.95 hectares** for Widening & Strengthening of Gadarpur Dineshpur Matkota Haldwani State Highway SH-05 (Two-Lane paved should) Km 17 to 38 in Distt. U.S Nagar & Nainital under CRIF under FRA, 2006, of the following applicants duly processed and recommended by the Sub division level committee of Haldwani Sub-Division were discussed to consider the same for admission by the district level committee. After scrutiny of the document and detailed discussion no objection/claims were found to have been made and hence district level committee recommended the above cases diversion of land for the said purpose.

Date 04/07/2022

Place NAINITAL....

DR
Deputy Commissioner cum chairman
District Level Committee

उप विलापिकारी
हल्द्वानी

तहसीलदार,
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र— 23.3

परियोजना का नाम—तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेढ भोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु (किमी 17 से किमी 38 तक) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


Office of the deputy commissioner District –Udham Singh Nagar (U.K)

Proceeding of the meeting of district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers recognition of right act (FRA),2006.

A meeting of the district level committee of Udham Singh Nagar district constituted under FRA, 2006 was held under Chairmanship of Deputy Commissioner Udham Singh Nagar on dated 04/07/2022... at time 3:00 PM... at Udham Singh Nagar in which application claiming right in **26.95 hectares** for Widening & Strengthening of Gadarpur Dineshpur Matkota Haldwani State Highway SH-05 (Two-Lane paved should) Km 17 to 38 in Distt. U.S Nagar & Nainital under CRIF, under FRA, 2006, of the following applicants duly processed and recommended by the Sub division level committee of Rudrapur, Sub-Division were discussed to consider the same for admission by the district level committee. After scrutiny of the document and detailed discussion no objection/claims were found to have been made and hence district level committee recommended the above cases diversion of land for the said purpose.

Date : 04/07/2022

Place...RUDRAPUR...
chairman

Deputy Commissioner cum

उद्धम सिंह नगर

District level committee

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम—तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सङ्कर अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेड़ शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु (किमी 17 से किमी 38 तक) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सङ्कर अवसंरचना निधियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेड़ शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य (किमी 17 से किमी 38 तक) हेतु (16.27 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.42 है0 संरक्षित वन भूमि, 10.25 है0 नाप भूमि, शून्य है0 सिविल एंव सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 16.69 है0 वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने एवं 10.25 है0 नाप भूमि में बाधक वृक्षों के पातन/साख तरासी हेतु भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, सम्बन्धित ग्राम सभाओं तथा नगर निगम द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। प्रस्तावित परियोजना में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत 9.30 है0 वन भूमि एवं 9.66 है0 नाप भूमि पड़ रही है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण से किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

प्र
जिलाधिकारी
नैनीताल।

म
उप जिलाधिकारी
हल्द्वानी।
तहसीलदार,
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र—23.4

परियोजना का नाम—तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0—05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेड़ शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु (किमी 17 से किमी 38 तक) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र।

जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0—05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेड़ शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य (किमी 17 से किमी 38 तक) हेतु (16.27 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.42 है0 संरक्षित वन भूमि, 10.25 है0 नाप भूमि, शून्य है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 16.69 है0 वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने एवं 10.25 है0 नाप भूमि में बाधक वृक्षों के पातन/साख तरासी हेतु भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, सम्बन्धित ग्राम सभाओं तथा नगर निगम द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। प्रस्तावित परियोजना में जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत 7.39 है0 वन भूमि एवं 0.59 है0 नाप भूमि पड़ रही है।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण से किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहें हैं। परियोजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

५५
जिलाधिकारी
वैनीताला

(आर० एस० राणा)
रा० नि० लालपुर
तहसील रुद्रपुर

तहसीलदार
रुद्रपुर
उधमसिंह नगर

उपजिलाधिकारी
रुद्रपुर, उधम सिंह नगर

जिलाधिकारी
उधम सिंह नगर

प्रपत्र-23.5

परियोजना का नाम—तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर-दिनेशपुर-मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेढ़ शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु (किमी 17 से किमी 38 तक) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Annexure-II

Form-II

(For projects other than liner projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District collector of Nanital (U.K)

No. ५४४ / संग्रहीत

Date ०५/०७/२०२२

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliances of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No. 119/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the processes of settlement of rights under the scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest right) act 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes. It is certified that 9.30 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Construction Division, PWD, Haldwani and 9.66 hectare of Naap Land for Lopping of trees in Nanital District falls within jurisdiction of Haldwani tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 26.95 hectares land. A copy of records of all consultation and meeting of the forest rights committee(s), Nagar Nigam (s), Sub-Division level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure-23 to 23.3.
- (b) The proposal for diversion (with full details of the projects and its implications in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Ward of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each concerned ward(s), has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose of and details of proposed diversion . A copy of certificate issued by the Gram Pradhan and Nagar Nigam(s) is enclosed as annexure-23 to 23.3.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% members of Ward present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Ward meeting have given their consent to it;
- (f) The right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA;

Encl: As above

५५

(Full name and office of the district collector)

ननिताल
ननिताल

तहसीलदार,
हल्द्वानी (ननिताल)
धृष्णुलिकारी
हल्द्वानी

प्रपत्र-23.5

परियोजना का नाम—तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्दानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्दानी तक दो लेन पेढ शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु (किमी 17 से किमी 38 तक) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Annexure-II

Form-II

(For projects other than liner projects)

Government of Uttarakhand

No....क्रमांक/भार्ता) Office of the District collector of Udhamsingh Nagar (U.K)
Date 4/07/2022

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliances of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No. 119/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the processes of settlement of rights under the scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest right) act 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes. It is certified that 7.39 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Construction Division, PWD, Haldwani and 0.59 hectare Naap Land for Lopping of trees in Udhamsingh Nagar District falls within jurisdiction of Rudrapur tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 26.95 hectares land. A copy of records of all consultation and meeting of the forest rights committee(s), Nagar Nigam (s), Sub-Division level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure-23 to 23.3.
- (b) The proposal for diversion (with full details of the projects and its implications in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Ward of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each concerned ward(s), has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose of and details of proposed diversion . A copy of certificate issued by the Gram Pradhan and Nagar Nigam(s) is enclosed as annexure-23 to 23.3.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% members of Ward present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Ward meeting have given their consent to it;
- (f) The right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA;

Encl: As above

(Full name and office of the district collector)

(आरो
राजा
शा० नि० लालपुर
तहसील रुद्रपुर

तहसीलदार
रुद्रपुर
उधमसिंह नगर

उपजिल्लाधिकारी
रुद्रपुर, उधम सिंह नगर

जिल्लाधिकारी
उधम सिंह नगर

प्रपत्र— 23.6

परियोजना का नाम—तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सङ्क अवसंरचना निधियोजना के अन्तर्गत गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0—05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेढ शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य (किमी 17 से किमी 38 तक) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।
जिला स्तरीय समिति।

तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सङ्क अवसंरचना निधियोजना के अन्तर्गत गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0—05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेढ शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य (किमी 17 से किमी 38 तक) हेतु (16.27 है० आरक्षित वन भूमि, 0.42 है० संरक्षित वन भूमि, 10.25 है० नाप भूमि, शून्य है० सिविल एंव सोयम वन भूमि, शून्य है० वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 16.69 है० वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मत्रांलय द्वारा प्रत्यावर्तित करने एवं 10.25 है० नाप भूमि में बाधक वृक्षों के पातन/साख तरासी हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति (तहसील—हल्द्वानी) की दिनांक 23/06/2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

प्रस्तावित परियोजना में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत 9.30 है० वन भूमि एवं 9.66 है० नाप भूमि पड़ रही है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री धीराज सिंह गर्वाल, जिलाधिकारी, नैनीताल एंव अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1— श्री धीराज सिंह गर्वाल, जिलाधिकारी, नैनीताल, अध्यक्ष।
- 2— डा० अभिलाषा सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, सदस्य।
- 3— श्री दीपांकर घिडियाल, समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य।
- 4— श्री आनन्द सिंह दरम्वाल, सदस्य जिला पंचायत, देवलचौड़, सदस्य।

जिलाधिकारी

नैनीताल

जिला स्तरीय समिति सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त 16.69 है० वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मत्रांलय द्वारा प्रत्यावर्तित करने एवं 10.25 है० नाप भूमि में बाधक वृक्षों के पातन/साख तरासी हेतु भूमि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभाओं एंव नगर निगम के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का नगर निगम व सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में नगर निगम व ग्राम सभाओं/पचांयत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सङ्क अवसंरचना निधियोजना के अन्तर्गत गदरपुर-दिनेशपुर-मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेढ़ शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य (किमी 17 से किमी 38 तक) 16.69 है0 वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने एवं 10.25 है0 नाप भूमि में बाधक वृक्षों के पातन/साख तरासी हेतु भूमि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी को राष्ट्रहित व जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकारी समिति
जनपद—नैनीताल

~~आनन्द सिंह दरमाला~~
उपाध्यक्ष
जिला पंचायत—नैनीताल

~~जिला समाज कल्याण और कारो~~
~~नेतृत्व~~

~~प्रभागीय वनाधिकारी~~
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
सद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

प्रपत्र— 23.6

परियोजना का नाम—तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेड़ शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु (किमी 17 से किमी 38 तक) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी उधमसिंहनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।
जिला स्तरीय समिति।

तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेड़ शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य (किमी 17 से किमी 38 तक) हेतु (16.27 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.42 है0 संरक्षित वन भूमि, 10.25 है0 नाप भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 16.69 है0 वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने एवं 10.25 है0 नाप भूमि में बाधक वृक्षों के पातन/साख तरासी हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति (तहसील—रुद्रपुर) की दिनांक 23/06/2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

प्रस्तावित परियोजना में जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत 7.39 है0 वन भूमि एवं 0.59 है0 नाप भूमि पड़ रही है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री युगल किशोर पंत, जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर एंव अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1— श्री युगल किशोर पंत, जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर, अध्यक्ष।
- 2— डा० अभिलाषा सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, सदस्य।
- 3— श्री अमन अनिरुद्ध, समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य।
- 4— श्री राजेश कुमार, पार्श्वद, नगर निगम, रुद्रपुर, सदस्य।

जिला स्तरीय समिति सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी उधमसिंहनगर की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त 16.69 है0 वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने एवं 10.25 है0 नाप भूमि में बाधक वृक्षों के पातन/साख तरासी हेतु भूमि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभाओं एवं नगर निगम के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभाओं एवं नगर निगम द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में नगर निगम व ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

जिलाधिकारी
उधम सिंह नगर

बैठक में सर्वसमति से तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर-दिनेशपुर-मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेढ़ शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य (किमी 17 से किमी 38 तक) 16.69 हैं। वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने एवं 10.25 हैं। नाप भूमि में बाधक वृक्षों के पातन/साख तरासी हेतु भूमि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी को राष्ट्रहित व जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

Juan
जिला समाज कल्याण अधिकारी
उथमसिंह नगर

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
जनपद-उथमसिंहनगर।

Revised / 28/06/2022



Hukilekar
अधिशासी वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
रुद्रपुर, उथमसिंह नगर

Uttam Singh
उत्तम सिंह नगर